

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

New Delhi, the 20<sup>th</sup> September, 2013

S.O.\_\_\_\_.- Whereas the annexed Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as "Protocol") signed on the 16<sup>th</sup> day of December, 2011 shall enter into force on the 2<sup>nd</sup> day of April, 2013, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective countries for the entry into force of the Protocol, in accordance with the provisions of Article 7 of the said Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Protocol annexed hereto shall be given effect to and shall be deemed to have been given effect to in the Union of India in accordance with Article 7 of the said Protocol, namely:-

- (i) in respect of Articles 1, 2 and 3 of the said Protocol, for the Financial Year 2014-2015 and subsequent financial years;
- (ii) in respect of Articles 4 and 5 of the said Protocol, from the 2<sup>nd</sup> day of April, 2013; and
- (iii) in respect of Article 6 of the said Protocol, from the 18<sup>th</sup> day of July, 2013.

Sl. No. 24/17

**PROTOCOL  
AMENDING THE AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA  
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND  
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of Australia,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Canberra on the 25<sup>th</sup> day of July 1991 (in this Protocol referred to as "the Agreement"),

Have agreed as follows:

*Article 1*

Article 3 of the Agreement is amended by inserting new sub-paragraph k) in paragraph (1):

- "(k) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
- (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
  - (ii) any legal person, company, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State."

*Article 2*

Article 5 of the Agreement is amended by omitting paragraph 3 and substituting:

- "(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where an enterprise of a Contracting State:
- (a) furnishes services, including consultancy services, through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within that other State for a period or periods aggregating more than 183 days in any 12 month period;
  - (b) carries on activities (including the operation of substantial equipment) in the other State in the exploration for or exploitation of natural resources situated in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in any 12 month period; or

- (c) operates substantial equipment in the other State (including as provided in subparagraph b)) for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period;

such activities shall be deemed to be carried on through a permanent establishment of the enterprise situated in that other State, unless the activities are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph."

#### *Article 3*

Article 7 of the Agreement is amended by omitting paragraph 1 and substituting:

"(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment."

#### *Article 4*

The Agreement is amended by inserting:

#### "Article 24A NON-DISCRIMINATION

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals who are residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

(3) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements

paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

(6) This Article shall not apply to any provision of the laws of a Contracting State which:

- (a) is designed to prevent the avoidance or evasion of taxes, including measures designed to address thin capitalization or to ensure that taxes can be effectively collected or recovered; or
- (b) provides tax incentives to eligible taxpayers for expenditure on research or development, provided that a company that is a resident of one Contracting State and is wholly or partly owned by residents of the other State can access such incentives on the same terms and conditions as any other company that is a resident of the first-mentioned State; or
- (c) is agreed between the Contracting States through an Exchange of Notes."

#### *Article 5*

The Agreement is amended by omitting Article 26 and substituting:

#### "Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

(2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may

disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.

(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

#### *Article 6*

The Agreement is amended by inserting:

#### "Article 26A ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

(1) The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

(2) The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest,

administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

(3) When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

(4) When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

(6) Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

(7) Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

(8) In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State."

*Article 7*  
ENTRY INTO FORCE

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the last notification, and thereupon shall have effect:

- (a) in the case of India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after 1 April next following the date on which the Protocol enters into force;
- (b) in the case of Australia, with regard to Australian tax, in relation to income, profits or gains of any year of income beginning on or after 1 July next following the date on which the Protocol enter into force;
- (c) for the purposes of Articles 24A (Non-discrimination) and 26 (Exchange of Information) of the Agreement, from the date of entry into force of this Protocol;
- (d) notwithstanding the provisions of subparagraphs (a), (b) and (c), Article 26A (Assistance in the Collection of Taxes) of the Agreement shall have effect from the date agreed in an exchange of notes through the diplomatic channel.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, India this 16<sup>th</sup> day of December, 2011, in the English and Hindi languages, both texts equally authentic, the English text to be the operative one in any case of doubt.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

(S. S. PALANIMANICKAM)  
MINISTER OF STATE  
FOR FINANCE

FOR THE GOVERNMENT OF  
AUSTRALIA

(BILL SHORTEN)  
MINISTER FOR EMPLOYMENT  
AND WORKPLACE RELATIONS;  
MINISTER FOR FINANCIAL SERVICES  
AND SUPERANNUATION

Notification No. 74 /2013 F.No.503/1/2009-FTD-II



K. RAMALINGAM

Joint Secretary to the Government of India



[ भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना  
(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

का. आ. ----- जबकि 16 दिसम्बर, 2011 को हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए करार को संशोधित करने वाला संलग्न प्रोटोकोल (अब से 'प्रोटोकोल' के रूप में संदर्भित) 02 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगा जो उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अनुसार इस प्रोटोकोल को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न प्रोटोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 7 के अनुसार निम्नानुसार प्रभावी होना माना जायेगा :-

- (i) उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 1, 2 तथा 3 के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2014-2015 और इसके बाद के वित्तीय वर्षों से;
- (ii) उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 4 और 5 के संबंध में, 02 अप्रैल, 2013 से; और
- (iii) उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 6 के संबंध में, 18 जुलाई, 2013 से।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और  
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

आस्ट्रेलिया की सरकार

के बीच करार में संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार, दिनांक 25 जुलाई, 1991 को केनबरा में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच करार (जिसे इस प्रोटोकॉल में "करार" कहा जाएगा) में संशोधन करने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

**अनुच्छेद - 1**

करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ (1) में एक नया उप-पैराग्राफ (ट) शामिल करके संशोधित किया गया है :

"(ट) किसी संविदाकारी राज्य के संबंध में पद "राष्ट्रिक" से तात्पर्य है :

- (i) उस संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता अथवा नागरिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति; और

- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी अथवा संस्थान जिसने अपनी इस प्रकार की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त की है।”

## अनुच्छेद - 2

करार के अनुच्छेद 5 में पैराग्राफ 3 को हटा कर तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया गया है :

“(3) पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम :

- क) इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से परामर्शी सेवाओं सहित सेवाएं प्रस्तुत करता है परन्तु केवल वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) उस दूसरे राज्य के भीतर किसी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रहती है;
- ख) उस दूसरे राज्य में अन्वेषण के लिए गतिविधियाँ जारी रखता है (महत्वपूर्ण उपस्करों के प्रचालन सहित) अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए किन्हीं 12 महीनों की अवधि में कुल मिलाकर 90 अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि अथवा अवधियों के लिए कार्यकलाप जारी रखना;
- ग) उस दूसरे राज्य में (उप पैराग्राफ ख में यथा उपलब्ध कराए गए सहित) किसी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन की अनधिक अवधि के लिए महत्वपूर्ण उपस्कर संचालित करता है;

ऐसी गतिविधियों को उस दूसरे राज्य में स्थित उद्यम के स्थायी संस्थापन के जरिए जारी किया गया माना जाएगा जब तक कि ऐसी गतिविधियाँ पैराग्राफ 4 में

उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हो जिन्हें यदि किसी कारोबार के निश्चित स्थान के माध्यम से किया जाए तो उससे इस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत कारोबार का यह स्थान स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा ।”

### अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 को हटा कर और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाता है :

“(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता है तो उस दूसरे राज्य में उस उद्यम के केवल उतने ही लाभों पर कर लग सकता है जो उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों ।”

### अनुच्छेद 4

करार को निम्नलिखित को शामिल कर संशोधित किया गया है :

#### “अनुच्छेद 24क

#### सम-व्यवहार

(1) किसी संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकता हो । यह उपबंध, अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों ही संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

(2) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

(3) ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 6 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे, मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो।

(4) एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भरण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

(5) इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद-2 के उपबंधों के होते हुए भी, प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों पर लागू होंगे।

(6) यह अनुच्छेद किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के ऐसे किसी उपबंध पर लागू नहीं होगा जो :

- क) करों के परिहार अथवा अपवंचन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें विरल पूंजीकरण का पता लगाने अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर प्रभावी रूप से संग्रहित अथवा वसूल किए जा सकते हैं, उपाय अभिकल्पित किए गए हों; अथवा
- ख) अनुसंधान अथवा विकास पर व्यय के लिए पात्र करदाताओं को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराते हों बशर्ते कि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और दूसरे राज्य के निवासियों द्वारा संपूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त है, समान शर्तों पर ऐसे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती है जो कि प्रथमोल्लिखित राज्य की निवासी कोई अन्य कंपनी प्राप्त करती है; अथवा
- ग) जिस पर टिप्पणियों के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच सहमति हुई हो।”

### अनुच्छेद 5

करार को अनुच्छेद 26 को हटाते हुए निम्न को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया है :

### “अनुच्छेद 26

#### सूचना का आदान-प्रदान

(1) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों

की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए अनुमानतः सुसंगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

(2) संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के तहत प्राप्त की गई कोई सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाए और आपूर्तिकर्त्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करे।

(3) किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार

प्रक्रिया अथव सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

(4) इस अनुच्छेद के अनुसार में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति देना नहीं होगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

(5) किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति देना नहीं होगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।”

## अनुच्छेद 6

करार को निम्न को अंतःस्थापित करके संशोधित किया जाता है :

### “अनुच्छेद - 26क करों की वसूली में सहायता

(1) संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि को परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं ।



(2) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों के संबंध में देय राशि से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा संरक्षण के प्रतिकूल नहीं है ।

(3) जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है, जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था ।

(4) जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, चाहे जब ऐसे उपाय लागू किए जाते हैं तो राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं होता अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय नहीं होता जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।

(5) पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे पर लागू कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा

स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे पर लागू कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।

(6) किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।

(7) जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और प्रथमोल्लिखित राज्य में संबंधित राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल करने और प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

- क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा ।

(8) किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बापयता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से असंगत प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो ।

### अनुच्छेद - 7 प्रवृत्त होना

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे । यह प्रोटोकॉल, जो करार का अभिन्न अंग होगा, अंतिम अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा, तथा तदंतर निम्न प्रभाव होगा :

- (क) आस्ट्रेलिया के मामले में, आस्ट्रेलियाई कर के संबंध में वह तारीख जिसको प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, के अगले अनुवर्ती 1 जुलाई को अथवा इसके बाद आरंभ होने वाले किसी आय वर्ष की आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में;
- (ख) भारत के मामले में, वह तारीख जिसको प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, 1 अप्रैल को या इसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में;

(ग) इस प्रोटोकॉल के प्रभावी होने की तारीख से, करार के अनुच्छेद 24क (सम व्यवहार) तथा 26 (सूचना का आदान-प्रदान) के प्रयोजनार्थ;

(घ) उप-पैराग्राफ (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधानों के बावजूद, करार का अनुच्छेद 26क (करों की वसूली में सहायता) राजनयिक चैनल के माध्यम से टिप्पणियों के आदान-प्रदान में सहमति जारी करके प्रभावी होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के दिसम्बर माह के सोलहवें दिन हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

आस्ट्रेलिया सरकार  
की ओर से

(एस.एस. पलानीमाणिकम)  
वित्त राज्य मंत्री

(बिल शॉर्टन)  
नियोजन एवं कार्यस्थान सम्पर्क मंत्री,  
वित्तीय सेवाएं एवं अधिवर्षिता मंत्री

अधिसूचना संख्या 74 /2013 फा.सं. 503/1/2009 बि.क.प्र.-II

के. रामालिंगम

के. रामालिंगम

संयुक्त सचिव, भारत सरकार